न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 09/2019 निर्णय दिनांक – 10.04.2019

1. कानमल पिता सौभागमल अब्भाणी जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. प्रदीप कुमार पिता कानमल अब्भाणी जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. श्रीमती सुनीता पत्नी प्रदीप कुमार अब्भाणी जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. बद्रीलाल पिता कालु माली, आयु वयस्क, निवासी मीरा गैस के पास, इन्द्रा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
2. किशन कुंवर पत्नी दौलत सिंह राजपुत, आयु वयस्क, निवासी बड़ा होलीथड़ा, निम्बाहेड़ा।
3. दौलत सिंह पिता लक्ष्मण सिंह पंवार राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बड़ा होलीथड़ा, निम्बाहेड़ा।
4. नीतु कुंवर पत्नी पदम सिंह पंवार राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बड़ा होली थड़ा, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 125 की आराजी नं. 2974/1716 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। दोनों की सीमाओं के मध्य कोई स्थाई निशान नहीं होने से आए दिन सीमा विवाद होने की सम्भावना रहती है इसलिए पत्थरगढ़ी की जावे। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। विपक्षी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा काउण्ट जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त आराजीयात के पश्चिम दिशा में सरकारी खाल है जिसमें बरसात के समय खेत के ढोबे कट कट कर जमीन कम हो गई है जिसकी पूर्ति प्रार्थी विपक्षीगण की जमीन से करवाना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह हैं। इसलिए प्रार्थी का पत्थरगढ़ी का आवेदन पत्र खारीज फरमाया जावे। काउण्टर प्रार्थना पत्र में मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1716 मीन रकबा 0.5200 हेक्टेयर की भी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है तथा मौके पर एक कुआ होना बताया है और निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी यदि करवाई जावे तो उक्त कुए को छोड़ते हुए पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी संख्या 2974/1716 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी आराजीयात पर कब्जा है अथवा नहीं, यह तो पत्थरगढ़ी से ही स्पष्ट हो सकेगा, पत्थरगढ़ी का मुख्य उद्देश्य सीमा विवाद का निस्तारण करना है, ना कि प्रार्थी को कब्जा प्रदान करना। पत्थरगढ़ी से

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य स्पष्ट सीमा जानकारी सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा करवा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 125 की आराजी नं. 2974/1716 रकबा 0.5200 हैक्टेयर तथा मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1716 मीन रकबा 0.5200 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: